प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 26.12.2024

कूटरचना कर धोखाधड़ी से जमीन का अवैध बैनामा करने व जान से मारने का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

विषय पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल के नेतृत्व में 30नि0 आशिष सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 877/2024 धारा 191(2),191(3),109,127(2),(2),352,118(1),351(3) बीएनएस व मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी,323,504, 506 भादिव से संबंधित वांछित अभियुक्त अविनाश कुमार निषाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचना कर धोखाधड़ी से वादी व वादी के भाईयों को मृतक बताकर, उनका वारिस बनकर वादी व उनके भाईयों की जमीन का अवैध बैनामा कर देने तथा वादी को गाली-गुफ्ता व जान से मारने का प्रयास करने के के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अविनाश कुमार निषाद पुत्र स्व0 पल्टू निषाद निवासी ग्राम ठाकुरपुर नं0 2 टोला बोहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर हाल मुकाम ग्राम ठाकुरपुर नं0 2 टोला बोहा थाना गुलरिहा जनपद

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 877/2024 धारा 191(2),191(3),109,127(2),(2),352, 118(1),
 351(3)बीएनएस0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 2. मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी,323,504,506 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 1. उ0नि0 आशिष सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 2. कां0 जगरनाथ यादव थाना चिल्आताल जनपद गोरखपुर